विश्व के बदलते परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका

शिव कुमार सरोज*

"अन्तर्राष्ट्रीय संस्था प्रभुत्वसंपन्न राज्यों के सहयोग का एक रूप है जो एक बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय करार पर आधारित होता है। जिसका मौलिक गुण यह होता है कि इसमें निश्चित क्षमता तथा शक्ति वाले स्थायी अंग होते हैं, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं।"

अन्तर्राष्ट्र संस्था का विकास

अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का विकास कई चरणों में हुआ–

(1) यूरोप का कन्सर्ट–अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के विकास का प्रथम चरण यूरोप के कन्सर्ट की स्थापना से प्रारम्भ होता है। इसका उदय होली एलायन्स तथा वियना की कांग्रस (1814–15) से हुआ था। यह महान् शक्तियों का एक ढीला संघ था अथवा अपवर्जित क्लब था। यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए यूरोप की महान् शक्तियों ने यह संघ बनाया था तथा समय–समय पर सलाह–मशविरा किया करते थे। यूरोप के सन्सर्ट ने सामूहिक समझौते की नींव रखी तथा इस प्रकार यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की एक अभिन्न अंग हो गया। यूरोप कसर्न्ट राष्ट्र संघ परिषद् का एक प्रारम्भिक रूप था तथा इसने अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के कार्यपालिका अंग की स्थापना में काफी योगदान दिया।

होली एलायन्स के टूट जाने के पश्चात् भी प्रथम विश्वयुद्ध तक शक्ति नष्ट होने पर जो इसकी आधारशिला थी, यूरोप का कन्सर्ट एक संस्था–सदृश यचा अर्द्धसंस्था वाली प्रणाली रही। बलकान युद्ध के पश्चात् 1912–13 के लंदन सम्मेलन यूरोप के सन्सर्ट के अन्तर्गत आखिरी सम्मेलन थे।

सम्मेलन की इस प्रणाली में कई दोष थे–

प्रथम–जब कोई नई समस्या उत्पन्न होती तो सम्बन्धित राज्यों में से किसी एक की पहल पर सम्मेलन बुलाना पड़ता था।

द्वितीय–राष्ट संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ के समन इस प्रकार के सम्मेलन में बेहल नहीं होती थी वरन् हर राज्य के प्रतिनिधि अपने राज्य की नीति पर बयान देते थे। कभी–कभी तो एक–दूसरे को रियायतें भी देते थे, परन्तु इस प्रणाली में जड़ता थी जो बाद में राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सभाओं से दूर हुई।

तृतीय–यह सम्मेलन प्रायोजक या मेजबान राज्य के आमंत्रण पर बुलाया जाता था सदस्यता का सिद्धान्त जो स्वतः प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान करता है, अनुपस्थित था।

चतुर्थ–सम्मेलनों में राज्य समानता का कड़ा सिद्धान्त अपनाया जाता था इसके परणामस्वरूप सभी राज्यों को एकसमान मत प्राप्त था तथा सारे निर्णयों के लिए सर्वसम्मति आवश्यक थी।

(2) हेग–प्रणाली–हेग प्रणाली से अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के उद्विकास का द्वितीय चरण प्रारम्भ होता है। हेग सम्मेलन (1899–1907) अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के उद्विकास में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल हेतु एकता के आधार पर विचार–विमर्श किया। इन सम्मेलनों को प्रत्येक सात वर्ष में आयोजित किया जाता था इसको शान्तिकाल में आयोजित किया गया था और उस समय मान्यता प्राप्त सभी राज्यों ने इसमें भाग लिया उन्नीसवीं शताब्दी के महाशक्ति सम्मेलनों से भिन्न, हेग सम्मेलन में ऐसे नियम प्रतिपादित किए गए जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली को विनियमित करने तथा संघर्ष और युद्ध के कारणों को दूर करने के लिए थे चूँकि महाशक्ति सम्मेलनों का आयोजन युद्ध तथ संघर्ष के तत्काल बाद समझौता करने के लिए किया जाता था, इसलिए हेग सम्मेलन उनसे भिन्न था यह निवारक तथा विनियामक प्रकृति का था हेग सम्मेलन में 26 राज्यों ने भाग लिया तथा हेग सम्मेलन 1907 मे 44 राज्यों ने भाग लिया। इन सम्मेलनों को वास्तव में राष्ट्र संघ महासभा का जनक कहा जा सकता है।

(3) प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय संघ–प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय संघों का विकास मुख्यतः इस अहसास के कारण हुआ कि उनके हित अन्तर्राष्ट्रीय हैं तथा उसके लिए स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संघ की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विश्व दासता विराधी सम्मेलन (1840) कदाचित पहला सम्मेलन था जिसके परिणामस्वरूप स्थायी

* शोध छात्र, विधि संकाय, बीएचयू, वाराणसी

व्यवस्था स्थापित की गई। 1840 तथा 1914 के मध्य लगभग 400 स्थायी संघ स्थापित किए गए। यह संघ भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए। यह संघ जैसे–रेडक्रस की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (1863), अन्तर्संसदीय संधि (1889), अन्तर्राष्ट्रीय विधि संघ (1873) , अन्तर्राष्ट्रीय दंत संघ (1878) तथा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक चैम्बर (1919)। इन संघों का विकास इतनी तेजी हुआ कि उनके कार्यो में समन्वय स्थापित करने के लिए तथा सदस्यता की शर्तें रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघों के संघ की स्थापना 1910 में की गई। इसमें निम्नलिखित शर्तें रखी गई–

1. स्थायी अंग का होना
2. उद्देश्य सभी राज्यों या कुछ राज्यों का हित होना न कि लाभ।
3. सदस्यता विभिन्न देशों के व्यक्ति या दलों के लिए खुली होनी चाहिए।

इन संस्थाओं में स्थायी नियमित मीटिंग का प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक संघों ने स्थायी सचिवायल स्थापित किया।

(4) लोक अन्तर्राष्ट्रीय संध–अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के विकास की मुख्य धारा लोक अन्तर्राष्ट्रीय संघों की स्थापना से प्रारम्भ होती है। इसमें मुख्यतः गैर–राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय तार संघ (ITU) 1865, सार्वभौमिक डाक संघ (ILO), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (IMF) आदि संस्थाओं की स्थापना हुई। ये संस्थाएँ संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सियाँ बन गई। अन्तर्राष्ट्रीय तार संघ के सचिवालय को राष्ट्र सचिवालय का जनक कहा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के उपर्युक्त विकास ने राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। राष्ट्र संघ के रूप में एक सामान्य तथा व्यापक विश्व संस्था की स्थापना की गई तथा यह उपयुक्त विकास की ऋणी थी।

राष्ट्र संघ

'फिलिप नोयल बेकर' उचित ही लिखते हैं–''राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रय समज को एक स्थायी तथा जैव अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रणाली देने के इतिहास में राष्ट्र संघ का प्रथम प्रयास है।''

यह प्रयास प्रथम विश्व9युद्ध का परिणाम था। प्रथम विश्वयुद्ध के विध्वंसकारी परिणामों ने राज्यों को विवश कर दिया ि कवे एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए प्रयास करें, जो विधि के लिए आदर भाव पर आधारित हो तथा विश्व में शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित कर सके।

यद्यपि राष्ट्र संघ की स्थापना के विषय में विचार प्रथम विश्वयुद्ध के काफी पहले ही प्रकट किए गए थे इन विचारों ने गेस तथा वास्तविक रूप वर्सायलीन (Versailles) की सन्धि 1919 में प्राप्त किया। युद्ध के दौरान यूरोप तथा अमरीका में सरकारी तथा गैर–सरकरी दोनों ही क्षेत्रों एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के स्थापित किए जाने के विषय में काफी प्रचार हो रहा था तथा अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के अन्त तक विश्व के राजनीतिज्ञों के राष्ट्र संघ की स्थापना के विषय में विचार स्पष्ट थे कि कम–से–कम इस बात पर एममत थे कि एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए जो विश्व के लोगों को भविष्य में युद्ध की विभीषिका से तथा इसके विध्वंसकारी प्रभावों से बचा जा सके। जनवरी 1918 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लायड जॉर्ज ने अपने एक महत्वपूर्ण भाषण मे कहा, ''शस्त्रों के बोझ को सीमित करने तथा युद्ध की सम्भावनाएं कम करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करनी चाहिए। ''तभी राबर्ट सीसिल ने राष्ट्रों के बची पारस्परिक सहयोग द्वारा शान्ति बनाए रखने के लिए एक समिति द्वारा ड्राफ्ट तैयार करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तथा लॉर्ड फिलीमोर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना हुई। इसी प्रकार फ्रांस सरकार ने भी राष्ट्र संघ की स्थापना की योजना का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस कमेटी ने फिलीमोर कमेटी से अधिक स्पष्ट तथा निश्चित रिपोर्ट प्रस्तुत की।

8 जनवरी, 1918 को अमरीका के राष्ट्रपति विन्सन ने विश्व–शान्ति के लिए चौदह–सूत्री प्रोग्राम की घोषण की। चौदह–सूत्री प्रोग्राम में–महाशक्तियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन, स्थायी सचिवायल, निरस्त्रीकरण, अनिवार्य माध्यस्थम् तथा युद्ध प्रारम्भ करने वाले तथा निर्मित होने वाले राष्ट्र संघ के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों के विरूद्ध सैनिक शक्ति के प्रयोग आदि शामिल थे। राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना को प्रोत्साहित किया तथा उसकी स्थापना में सराहनीय योगदान दिया। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र संघ स्थापना का अधिक श्रेय राष्ट्रपति विल्सन को ही हैं।

1918 के अन्त तक लॉर्ड राबर्ट सीसिल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो सीसिल ड्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध है। दिसम्बर 1918 में जनरण स्मट्स ने राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने प्रस्ताव में एक सामान्य सम्मेलन, एक परिषद् तथा माध्यस्थम् न्यायालय की व्यवस्सथा रखी। इसके उपरान्त अमरीका के राष्ट्रपति ने द्वितीय तथा तृतीय ड्राफ्ट प्रस्तुत किए। ब्रिटिश सरकारने भी एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। अन्त में अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रस्तावों को एक संयुक्त ड्राफ्ट में रखा गया जिसे हर्स्ट–मिलर ड्राफ्ट कहते हैं। इस संयुक्त–ड्राफ्ट को शान्ति सम्मेलन के राष्ट्र संघ कमीशन के सम्मुख रख गया। 28 अप्रैल, 1919 को शान्ति–सम्मेलन ने उस प्रसंविदा (Covenant) को स्वीकार कर लिया जिसे कमीशन ने अन्तिम रूप दिया था। इस प्रकार 10 जनवरी, 1920 को राष्ट्र संघ की स्स्थापना हो गई है। राष्ट्र संघ के संविधन को प्रसंविदा (Covenant) कहा गया–

(1) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शान्ति तथा सुरक्षा बनाए रखना।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना।

राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग

(1) सभा– सभा में राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता था प्रत्येक सदस्य अपने तीन प्रतिनिधि भेजने का अधिकारी था, परन्तु प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकारी था, सभा के मुख्य कार्य थे–

(1) दो–तिहाई बहुमत द्वारा नए राज्यों को सदस्य के रूप में स्वीकार करना।

(2) परिषद् के अस्थायी सदस्यों को मनोनीत करना।

सभा की बैठक वर्ष में कम–से–कम एक बार होती थी यदि आवश्यकता होती थी तो बैठक कई बार भी हो सकती थी। सभा की बैठकें संघ के मुख्यालय–जेनेवा में या अन्य निर्धारित स्थानों में होती थी। सभी का पहला अधिवेशन 15 नवम्बर, 1920 को और अन्तिम अधिवेशन 6 अप्रैल, 1946 बुलाया गया था। सन् 1920 से 1946 तक के बीच सभा के कुल 21 अधिवेशन हुए थे। सभा के अन्तिम अधिवेशन में इस बात की घोषण की गई थी कि अधिवेशन की समाप्ति पर राष्ट्र संघ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

(2) परिषद्–परिषद् राष्ट्र संघ का अधिशासी अंग थी। वैसे तो परिषद् के सदस्य मुख्य मित्र राष्ट्र तथा सहयोगी शक्तियाँ अर्थात अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जापान थे, लेकिन राष्ट्र संघ की परिषद् के सदस्य दो प्रकार के थे–स्थायी–ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान परिषद् के स्थायी सदस्य थे तथा जर्मनी को 1926 में और सोवियत संघ को 1934 में स्थायी स्थान दिया गया।

अस्थायी–चार अस्थायी सदस्यों का राष्ट्रसंघ की सभा द्वारा प्रतिवर्ष निर्वाचन होता थे, परन्तु अमरीका राष्ट्रसंघ का सदस्य कभी नहीं बना और यह बात निश्चयात्मक रूप से राष्ट्र संघ के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हुई। परिषद् के कार्यों का स्वष्ट विभाजन नहीं था परिषद् अनेक कार्य सभा के साथ मिलकर करती थी, परन्तु कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें परिषद् अकेले ही करती थी–

(1) विवादों का निपटारा करना परिषद् के महत्वपूर्ण कार्यों में था।

(2) सचिवालय के कार्यों को निर्दिष्ट करना।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित करना।

(4) संघ के सहायक अंगों से रिपोर्ट्स को प्राप्त करना।

(5) यह निर्धारण करना कि, किस रिपोर्ट को सभा में पेश किया जाए।

(6) अतिरिक्त स्थायी सदस्यों को मनोनीत करना।

(7) शस्त्रों को कम करने की योजना बनाना।

(8) बाहरी आक्रमण से रक्षा तथा क्षेत्रीय प्रभुत्वसम्पन्नता को बनाए रखने के लिए सदस्यों को सलाह आदि देना प्रमुख कार्य थे।

(3) सचिवालय–सचिवादल स्थायी कार्यालय था। राष्ट्र संघ के सचिवादलय में लगभग 600 अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी थे सचिवादल का प्रमुख महासचिव होता था। वह सभा के बहुमत के अनुमोदन से परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाता था।

सचिवालय के कार्य–सेवाओं अर्थात् लिपिकीय, अनुसंधान, प्रारूपण, प्रकाशन, समन्वय, सन्धियों का पंजीकरकण, अभिलेखों को रखना, सभाओं का आयोजन इत्यादि था। सचिवालय का कार्य संघ के सभी अंगों की सहायता करना भी था।

सदस्यता तथा उसका प्रत्याहरण

राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अन्तर्गत सदस्य अपनी सदस्यता निम्नलिखित दो परिस्थितियों में वापस ले कसते थे–

(1) कोई भी सदस्य दो वर्ष की सूचना देकर राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता समाप्त कर सकता था।

(2) यदि राष्ट्र संध की प्रसंविदा में कोई संशोधन होता था जिस पर किसी सदस्य की सहमति नहीं होती थी तो वह सदस्य राष्ट्रसंघ से अपनी सदस्यता वापस ले सकता था।

इस प्रावधान का मुख्य कारण यह था कि राष्ट्र संध की प्रसंविदा वास्तव में एक बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय संधि थी, जो राष्ट्रों ने समानता तथा प्रभुत्वसम्पन्न राज्य होने के नाते की थी। अतः उनकी सहमति के बिना किसी संशोधन द्वारा उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता था।

उपर्युक्त प्रावधानों का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि कालान्तर में अनेक सदस्यों ने राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता वापस ले ली जहाँ प्रारम्भ में राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 62 थी जो कालान्तर में घटकर 32 रह गई।

राष्ट्र संध की दुर्बलताएं तथा दोष–

(1) राष्ट्र संघ की प्रसंवदा का यह प्रमुख दोष था कि परिषद् द्वारा केवल सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सकता था। राष्ट्रों के गुटों में बँटे रहने के कारण अनेक मामलों में सर्वसम्मति नहीं थी। इस प्रकार सर्वसम्मति का सिद्धान्त, जो राष्ट्र संघ की कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु रखा गया था, वास्तव में घातक सिद्ध हुआं इसने परिषद् के कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर दिया।

(2) राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में युद्ध को पूर्णतया वर्जित नहीं किया गया था। प्रसंवदिा के प्रावधानों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में राज्यों को युद्ध करने का अधिकार था।

(3) यद्यपि अमरीका के राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना में अत्यधिक योगदान दिया। परन्तु फिर भी दुर्भाग्वश अमेरीका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया, क्योंकि अमरीकी संविधान के अनुसार, अमरीका तभी सदस्य हो सकता था, जबकि अमरीकी सेनेट सइका अनुसमर्थन कर दे। अमरीकी सेनेट ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया अतः अमरीका संघ का सदस्य नहीं हो सका।

(4) यदि राष्ट्र संध की प्रसंविदा में हुआ कोई संशोधन किसी सदस्य को मान्य नही होता था अथवा वह उसका विरोध करता था, तो ऐसा राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता वापस ले कसता था।

(5) राष्ट्र संघ में इतनी सामर्थ्य नहीं थी ि कवह महाशक्तियों को छोटे राज्यों पर आक्रमण करने तथा नाजायज लाभ उठाने से रोक सके।

(6) राष्ट्र संघ एक सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नही थी। केवल 62 राज्य इसके सदस्य थे तथा कालान्तर में यह संस्था घटकर केवल 32 रह गई थी।

(7) राष्ट्र संघ महाशक्ति तथा छोटे राज्यों के भेद–भाव पर आधारित था।

(8) राष्ट्र संघ की अध्यक्षता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि राष्ट्रों ने अपने निजी स्वार्थों को सदैव सर्वोपररि रखा।

(9) राष्ट्र संध विश्व में शान्ति बनाए रखने के अपने प्रमुख कार्य में बुरी तरह असफल रहा।

राष्ट्र संघ के विघटन के कारण

(1) सन् 1923 में इटली ने कार्फू नामक एक द्वीप पर आक्रमण कर दिया ग्रीस ने राष्ट्र संघ में यह मामला उठाया राष्ट्र संध ने ग्रीस की सहायता न करके अपनी सलाह इटली के पक्ष में दी।

(2) सन् 1931 में जापान ने मन्चुरिया पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। राष्ट्र संघ कोई भी प्रभावशाली कार्य करने में असमर्थ रहा।

(3) राष्ट्र संध का महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय शस्त्रीकरण को निम्नतम स्तर तक करने का प्रयास करना था। राष्ट्र संघ के प्रयासों के परिणमस्वरूप 1932 में एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। अपनी तरह का यह एक पहला सम्मेलन था, परन्तु इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। असफलता के राष्ट्र संघ के लिए घातक सिद्ध हुई।

(4) सन् 1935 में इटली ने अथोपिया पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्र संघ इटली के विरूद्ध कार्यवाही करने में असमर्थ रहा।

(5) सन् 1939 में रूस ने फिनलैण्ड पर आक्रमण कर दिया, इस बार भी राष्ट्र संघ एक दर्शक मात्र रहा तथा कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सका।

यद्यपि राष्ट्र संघ एक दुर्बल अन्तर्राष्ट्रीय संस्था थी तथा विश्व शान्ति तथा सुरक्षा को बनाए रखने में असमर्थ थी, परन्तु राष्ट्र संघ का अन्तिम पतन तथा विघटन उसके संवैधानिक दोषों के कारण न होकर इस कारण हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों ने अपने गम्भीर उत्तदायित्त्व को पूरा नहीं किया। सन् 1946 के अप्रैल से राष्ट्र संघ की सभा के एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्र संघ का विघटन हो गया। सौभाग्यवश राष्ट्रों के अथक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई जिसने राष्ट्र संघ के विघटन से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति की यह उससे भी अधिक प्रभावशाली व सफल अन्तर्राष्ट्रीय संस्था सिद्ध हुई।

संयुक्त राष्ट्र

राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् की गई थ। इसी कारण बहुधा इसके ''युद्ध का बालक'' (Child of War) कहा जाता है। राष्ट्र संघ का मुख्य र्का तथा उद्देश्य विश्व में शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करना था। राष्ट्र संघ इस कार्य तथा उद्देश्य की प्राप्ति में बुरी तरह असफल रहा। इसकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्वयुद्ध था। द्वितीय विश्वयुद्ध के विध्वंसकारी प्रभाव ने राष्ट्रों को पुनः विवश किया ि कवे एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करें जिससे उनके पारस्परिक विवादइों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जा सके तथा विश्व में शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित की जा सके। अतः युद्ध के दौरान ही अधिकांश महाशक्तियों ने इस दिशा में प्रयास आरम्भ कर दिए थे उनके अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप 1945 में सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ तथा 26 जून, 1945 को 51 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जिन महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण हुई, वे निम्न है–

(1) सेन्ट जेम्स की घोषणा–जून 1941 तक लन्दन निष्कासित सरकारों का ग्रह बना चुका था। ग्रीस, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, लक्जेमबर्ग, नीदरलैण्ड, नार्वे, पॉलैण्ड, यूगोस्लोविया की निष्कासित सरकारों के प्रतिनिधि तथा ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि तथा फ्रांस के जरनल दि गुले, लन्दन के सेन्ट जेम्स महल में एकत्रित हुए तथा सबने 12 जून, 1941 को एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उन्होंने शान्ति स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की।

इस घोषणा को लन्दलन घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। इस घोषणा में कहा गया था कि, ''विश्व में स्थायी शान्ति का एकमात्र आधार स्वतन्त्र लोगों को आपसी सहयोग है, जो आक्रमण के खतरे से मुक्त हो और सभी व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध तथा शान्ति दोनों में हमारा आशय एक साथ तथा अन्य स्वतन्त्र लोगों के साथ कार्य करना है। '' यह विश्व संगठन की स्थापना की ओर पहला कदम था।

(2) एटलांटिक चार्टर–दूसरी महत्वपूर्ण घटना 147 अगस्त, 1941 को एटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया जाना था। वास्तव में यह विश्व के दो महान् राजनीतिक एटलांटिक महासागर पर एक जहाज में मिले थे। अतएव जिस चार्टर पर इन्होंने हस्ताक्षर किए उसे एटलोंटिक चार्टर कहते हैं। इस चार्टर में उन्होंने नाजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया तथा राज्यों की समानता, सार्वभौमिक शान्ति, सामूहिक सहयोग, विजय द्वारा प्रदेशों के अधिग्रहण पर निषेध आदि के सिद्धान्तों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की।

(3) संयुक्त राष्ट्र घोषणा–विश्व संगठन की स्थापना के लिए अगली महत्वपूर्ण घटना 1 जनवरी, 1942 को हुई। जब अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत रूस के मेक्जिम लिटनोव तथा चीन के टी0वी0 सुंग ने एक संक्षिप्त घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किया। जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्रों घोषणा कहा गया। तत्पश्चात् 22 अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर हस्ताक्षर किया तथा 21 अन्य राज्यों ने भी इस घोषणा का समर्थन किया।

इस घोषणा द्वारा प्रत्येक सरकार ने एक–दूसरे को सहयोग देने का वचन दिया तथा यह संकल्प लिया कि कोई भीा सरकार अलग से शत्रु के साथ कोई विराम–संधि या संधि नहीं करेगी। संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम 'संयुक्त राष्ट्र' (United Nations) शब्दों का प्रयोग हुआ।

(4) मास्को घोषणा–30 अक्टूबर, 1943 को ब्रिटेन, अमरीका, रूस तथा चीन के प्रतिनिधि मास्कों में एकत्रित हुए तथा उन्होंने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया, जिसे मास्को घोषणा कहते हैं। इस घोषणा में उन्होंने शत्रु के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही करने का संकल्प लिया तथा ऐसी विश्व–संस्था की स्थापना पर जोर दिया जो राष्ट्रों को समानता के सिद्धान्त पर आधारित हो, सभी देशों के लिए खुशी हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाए रख सकें।

(5) तेहरान सम्मेलन–1दिसम्बर, 1943 को चर्चिल, रूजवेल्ट तथा स्टालिन ने तेहरान में एकत्रित होकर एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया। इस घोषणा में उन्होंने एक ऐसी विश्व–संस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो विश्व–शान्ति तथा सुरक्षा बनाए रख सके।

(6) डम्बरटन–ओक्स–सम्मेलन–संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के सम्बन्ध में डम्बरटन ओक्स सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सम्मेलन दो चरणों में हुआ–प्रथम चरण में ब्रिटेन तथा अमरीका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा द्वितीय चरण में चीन, ब्रिटेन तथा अमरीका ने भाग लिया। यह सम्मेलन इसमें भावी अंग के विषय में विस्तारपूर्वक विचार किया गया तथा ब्रिटेन, चीन, रूस तथा अमरीका ने भावी संस्था का नाम 'संयुक्त राष्ट्र' रखने में अपनी सहमति प्रदान कर दी।

(7) याल्टा सम्मेलन–याल्टा सम्मेलन 11 फरवरी, 1945 को हुआ, इस सम्मेलन की एक मुख्य बात यह थी कि ब्रिटेन से चर्चिल, अमरीका से रूजवेल्ट तथा रूस से स्टालिन अपने विदेश मन्त्रियों तथा सैनिक अध्यक्षों के साथ एकत्रित हुए। यह सम्मेलन संयुक्त–राष्ट्र संस्था की स्थापना में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इस सम्मेलन में भावी संस्था के रूप तथा प्रकृति का एक अन्तिम खाका तैयार किया गया। इस सम्मेलन ने कुछ ऐसे विवादों को सुलझाया जिन्हें डम्बरटन–ओक्स–सम्मेलन में सुलझाया न जा सका। इस सम्मेलन में यह भी निश्चय किया गया कि अगला सम्मेलन 25 अप्रैल, 1945 को सेनफ्रांसिस्को में होगा तथा जिसमें भावी संस्था के लिए चार्टर तैयार किया जाएगा।

(8) सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन–25 अप्रैल, 1945 को अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि सेनफ्रांसिस्को में एकत्रित हुए तथा लॉर्ड, हैलीफैक्स की अध्यक्षता में सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तथा 26 जून। 1945 तक चला। इस सम्मेलन में चार्टर के प्रावधानों को अन्तिम रूप दिया गया तथा उस पर मतदान हुआ। अन्त में चार्टर स्वीकार कर लिया गया, परन्तु चार्टर के प्रावधन तुरन्त ही लागू नहीं हो सके, क्योंकि चार्टर के अनुसार इसकों लागू होने के लिए आवश्यक था कि चार्टर का अनुमोदन स्थायी सदस्यों अर्थात अमरीका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस की सरकारें तथा अन्य हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में से आधे से ज्यादा राज्यों की सरकारें अनुसमर्थन करें। इस आवश्यकता की पूर्ति 24 अक्टूबर, 1945 को हो गई। उसी दिन से विधिवत् 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर' लागू हो गया।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर

राष्ट्र संघ की संविधि को दिए गए नाम 'प्रसंविदा' की अपेक्षा 'चार्टर' शब्द को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के संविधान के लिए उपयुक्त माना गया। चाट्रर शब्द सन्धि के विषयों का उल्लेख करता है, जबकि प्रसंविदा शब्द उसमें शामिल विषयों के संविदात्मक रूप से उल्लेख करता है। इस प्रकार चार्टर एक सन्धि है और विश्व संगठन का संविधायी दस्तावेज भी है।

चार्टर की उद्देशिका

संयुक्त राष्ट्र की उद्देशिका संयुक्त राष्ट्र के मूल लक्ष्यों को घोषित करती है–

(A) भावी पीढ़ियों को युद्ध की ज्वाला से बचाना।
(B) मौलिक स्वतंत्रताओं एवं मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा पुनः अभिव्यक्त करना।
(C) न्या की स्थापना करना और अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का सम्मान करना तथा
(D) सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर की अभिवृद्धि करना।

संयुक्त राष्ट्र केक उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य चार्टर के अनु0 1 में वर्णित हैं–

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाए रखना।
2. आत्म–निर्णय के सिद्धान्त पर राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का विकास कारना।
3. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समस्याओं के निवारण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग।
4. उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के केन्द्र बनाना।

संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त

1. सभी सदस्यों की समानता तथा प्रभुत्वसम्पन्नता की सिद्धान्त।
2. सदस्यों द्वारा सद्भाव में अपने उत्तर–दायित्वों को पूरा करना।
3. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करना।
4. सदस्य राज्यों द्वारा एक–दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता तथा स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न करने का सिद्धान्त।
5. सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता देने का सिद्धान्त।
6. गैर–सदस्यों का अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के सम्बन्ध में चार्टर के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने का सिद्धान्त।
7. संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार के मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धान्त।

संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता

यद्यपि चार्टर के द्वारा अभिव्यक्त रूप से सदस्यों का वर्गीकरण नहीं किया है फिर भी सदस्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है–

(1) मूल सदस्य (Original Members)–अनु0 3 के अनुसार , मौलिक सदस्य वे राज्य हैं, जिन्होंने सेनफ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया था तथा चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसका बाद में अनुसमर्थन कर दिया था। इसके अतिरिक्त वे राज्य भी मौलिक सदस्य माने जाएंगे जिन्होंने 1 जनवरी, 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और अनु0 110 के अनुसार इसका अनुसमर्थन किया।

(2) बाद में बने सदस्य (Subsequent Members)–अनु0 4 के अनुसार, किसी भी राज्य को सुरक्षा परिषद् की संस्तुति तथा महासभा के दो–तिहारई मत द्वारा संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया जा सकता है।

इसके लिए सुरक्षा–परिषद् के 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता है तथा इन मतों में 5 स्थायी सदस्यों के समकारात्मक मत भी शामिल होने चाहिए।

अनु0 4 के अनुसार, किसी राज्य को सदस्य बनाने के लिए निम्न पाँच शर्तें आवश्यक हैं–

1. एक राज्य होना चाहिए–राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना आवश्यकता है– (a) एक स्थायी जनसंख्या, (b) एक निश्चित क्षेत्र, (c) एक सरकार, (d) अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध बनाने की क्षमता
2. शान्ति–प्रमी होना चाहिए
3. चार्टर के उत्तदायित्वों को स्वीकार करना
4. चार्टर उत्तदायित्वों को पालन करने की इक्षा होना तथा
5. चार्टर में वर्णित उत्तदायित्वों को पूरा करने की क्षमता होना।

सदस्यों का निलम्बन

अनु0 5 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र का वह सदस्य जिसके विरूद्ध सुरक्षा परिषद् सामूहिक कार्यवाही कर रही है। निलम्बित किया जा सकता है। ऐसे सदस्यों को महासभा सुरक्षा–परिषद् के सुझाव पर निलम्बित कर सकती है। अनु0 5 में यह प्रावधान भी है कि सुरक्षा परिषद् निलम्बित राज्यों के अधिकार तथा विशेषाधिकार पुनः स्थापित कर सकती हैं।

सदस्यों का निष्कासन

चार्टर के अनु0 6 अनुसार, यदि कोई सदस्य जनबूझकर तथा लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद् के सुझाव पर महासभा द्वारा संस्था से निकाला जा सकता है। इसके लिए सुरक्षा परिषद् के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति जिसमें पाँच स्थायी सदस्य भी शामिल होने चाहिए तथा महासभा का 2/3 सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग

अनु0 7 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं– (1) महासभा, (2) सरक्षा परिषद्, (3) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, (4) न्यासधारिता परिषद्, (5) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, (6) सचिवालय,

संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियाँ

संयुक्त राष्ट्र जो गत 55 वर्षों से अधिक से अस्तित्व में है। इस कारण यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इसने उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया है, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकरन करना आसान कार्य नहीं हैं, क्योंकि कुछ अवसरों पर इसकी

असफलता एक या अन्य कारणों से दृष्टव्य है, जबकि अन्य अवसरों पर इसने प्रशंसनीय कार्य किया है, जो निम्नलिखित प्रकार हैं–

(1) तृतीय विश्व युद्ध का निवारण–संयुक्त राष्ट्र ने कई संघर्षों तथा विवादों का निपटारा किया है, जो अन्यथा विश्व–युद्ध में परिवर्तन हो जाते, संघर्ष में या तो समझौता किया गया है या उसे स्थापित किया गया है या उसे गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय विवाद होने से अन्यथा निवारित किया गया है। पुनः इसने शान्तिरक्षण कार्यवाही करके तथा प्रवर्तन कार्यवाही करके विश्व–शान्ति को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

(2) मानवाधिकारों में अभिवृद्धि तथा उसका संरक्षण–संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 तथा दो अन्तर्राष्ट्रीय सिविल तथा राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा न केवल मनुष्यों को अपने राज्य में व्यवहार के लिए मानक स्थापित किया है, बल्कि इसने उन्हें सार्वभौमिक बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने ही मानवाधिकरों के मान्यता के माध्यम से राज्यों को यह तथ्य स्वीकार करने के लिए उत्प्रेरित किया है कि राज्य मनुष्यों की सेवा के लिए है।

(3) उपनिवेशवाद की समाप्ति–संयुक्त राष्ट्र ने परतंत्र राज्यक्षेत्रों तथा उपनिवेशों को स्वतंत्र कराके तथा इस प्रकार लोगों को आत्म–निर्धारण का अधिकार प्रदान करके महत्वपूर्ण कार्य किया है। न्यासिता–प्रणाली के अधीन सभी न्यास क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति की समाप्ति में इस संगठन का योगदान प्रशंसनीय है।

(4) सार्वभौमिकरण–सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर पर 51 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे (जिनमें भारत भी शामिल था)। ये राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्य थे। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों की संख्या 192 हो गई है। (192वां सदस्यमोंटिनेग्रो (2006))

अतः यह कहना अनुचित न होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने लगभग सार्वभौमिकता प्राप्त कर ली है। इतिहास में किसी भी संगठन को इतनी व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है, जितनी संयुक्त राष्ट्र को मिली है।

(5) अभिसमयों तथा सन्धियों का निर्माण–संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कई बहुपक्षीय सन्धियाँ तथा अभिसमय ऐसे क्षेत्रों के लिए निर्मित की गई हैं, जो सम्भाव्यता मानव की पहुँच के अन्तर्गत है। बाह्य अन्तरिकक्ष, चन्द्रमा, अन्टार्कटिक गहरे समुद्र कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सन्धि के परिक्षेत्र के अन्तर्गत आ गए हैं।

(6) तीसरी पीढ़ी के लिए विचार करना–संयुक्त राष्ट्र का क्रियाकलाप केवल वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित नहीं है। इसने प्रकृति तथा पर्यावारण को संरक्षित करने के लिए अभिसमयों का निर्माण करके तीसरी पीढ़ी को मूल अधिकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। शस्त्रु परिसीमन, निरस्तीकरण तथा परमाणु परिक्षण प्रतिबन्ध से सम्बन्धित बहुपक्षीय सन्धि भी तीसरी पीढ़ी को युद्ध की ज्वाला से बचाने के लिए सुसंगत हैं।

(7) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास– संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक विश्व के अत्यधिक गरीब तथा असुविधा सम्पन्न लागों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में अभिवृद्धि है। गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोजगारी का उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य तथा खाद्य़, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों के अधीन हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं प्रमुख समकालीन मुद्दे, हरिमोहन जैन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
2. An International to Public International Law, S.K. Verma, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi
3. Public International Law, M.P. Tandon, Allahabad Law Agency, Faridabad (Haryana)
4. अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, रामानन्द गैरोला, प्रकाश बुक डिपो, बरेली
5. अन्तर्राष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार, के0सी0 जोशी, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ
6. मानव अधिकार, स्रोत ग्रंथ, आदित्य नारायण सिंह, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
7. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, पुष्पेश पंत, टाटा मैग्राहील कम्पनी, नई दिल्ली
8. मानव अधिकार, डॉ0 शिवदत्त शर्मा, विधि साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली

●